2025 का विधेयक संख्यांक 112

[दि जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गनाइजेशन (अमेडमेंट) बिल, 2025 का हिन्दी पाठ]

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2025 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

धारा 54 का संशोधन ।

2. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 54 में, उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :— 2019 का 34

"(5क) कोई मंत्री, जो इस प्रकार पदधारण करने के दौरान लगातार तीस दिनों की किसी अवधि के लिए, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध को कारित करने के अभिकथन पर गिरफ्तार किया जाता है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाता है, जो ऐसे कारावास से, जो पांच वर्ष या उससे अधिक की अवधि का हो सकेगा, दंडनीय है, ऐसे अभिरक्षा में लिए जाने के पश्चात्, इकतीसवें दिन तक मुख्यमंत्री द्वारा दी गई सलाह पर उपराज्यपाल द्वारा उसके पद से हटा दिया जाएगा :

परंतु यदि ऐसे मंत्री को हटाने के लिए मुख्यमंत्री की सलाह उपराज्यपाल को इकतीसवें दिन तक नहीं दी जाती है, तो वह उसके पश्चात् आने वाले दिन से मंत्री नहीं रहेगा :

परंतु यह और कि किसी मुख्यमंत्री के मामले में, जो इस प्रकार पदधारण करने के दौरान लगातार तीस दिनों की किसी अवधि के लिए, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध को कारित करने के अभिकथन पर गिरफ्तार किया जाता है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाता है, जो ऐसे कारावास से, जो पांच वर्ष या उससे अधिक की अवधि का हो सकेगा, दंडनीय है, ऐसी गिरफ्तारी और निरुद्ध किए जाने के पश्चात् इकतीसवें दिन तक अपना त्यागपत्र देगा, और यदि वह अपना त्यागपत्र नहीं देता है, तो वह उसके पश्चात् आने वाले दिन से मुख्यमंत्री नहीं रहेगा :

परंतु यह भी कि इस उपधारा की कोई बात, ऐसे मुख्यमंत्री या मंत्री को उपधारा (1) के अनुसार उसे अभिरक्षा से निर्मुक्त किए जाने पर, उपराज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री या मंत्री के रूप में तत्पश्चात् नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी ।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

निर्वाचित प्रतिनिधि, भारत के लोगों की आशाओं और आंकाक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं । यह अपेक्षा की जाती है कि वे राजनैतिक हितों से ऊपर उठकर केवल लोक हित में और लोगों के कल्याण हेतु कार्य करें ।

2. यह अपेक्षा की जाती है कि पदधारण करने वाले मंत्रियों का चरित्र और आचरण संदेह के किसी अंश से भी परे होना चाहिए ।

3. कोई मंत्री, जो गंभीर दांडिक अपराधों के आरोप का सामना कर रहा है, गिरफ्तार किया जाता है और अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाता है, तो वह संवैधानिक नैतिकता के मापदंडों तथा सुशासन के सिद्धांतों को निष्फल कर सकता है या उनमें बाधा डाल सकता है और अंततः लोगों द्वारा उसमें किए गए संवैधानिक विश्वास को कम कर सकता है ।

4. तथापि, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) के अधीन ऐसे मुख्यमंत्री या किसी मंत्री को हटाने का कोई उपबंध नहीं है, जो गंभीर दांडिक आरोपों के कारण गिरफ्तार किया जाता है और अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाता है ।

5. उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए, ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री या किसी मंत्री को हटाने के लिए विधिक ढांचे का उपबंध करने हेतु, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 54 का संशोधन करने की आवश्यकता है ।

6. विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है ।

नई दिल्ली
19 अगस्त, 2025

अमित शाह